... हुई। वकिल वादी उपस्थित।
वकिल वादी ने साक्ष्य बयान लेखबद्ध करवाये। शामिल पत्रावली होवे। पत्रावली वास्ते बहस दि. 30.7.24 को पेश होवे।

30.07.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार सीमलवाड़ा ने अपने जवाब में बताया है कि वादग्रस्त भूमि में हित रखने वाले सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही शेष खातेदारों से सहमति ली है। वकील वादी ने बहस के स्तर पर आदेश 1 नियम 10 का प्रा.पत्र पेश किया है। वाद में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस स्तर पर प्रा: पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाता है। सभी पक्षकारों को बिना तलब किये एवं बिना सुने निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

अतः सभी सह खातेदारों/हितग्राहियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

SDO

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा